पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–12/2017......................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार भा0प्र0से0

अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पूर्वी चम्पारण/गया /मधुबनी/ मधेपुरा /सिवान /अरवल/ मुजफ्फरपुर /सुपौल/ दरभंगा/ वैशाली/ जहानाबाद/ पूर्णियाँ/ बाँका/मुंगेर/ नालंदा/ रोहतास/भोजपुर।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹336.342 लाख (तीन करोड़ छत्तीस लाख चौतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।

उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

(राशि रुपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूर्वी चम्पारण	2	0	0	64.00 (चौसठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	72.00 (बहत्तर लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
2	गया	5	4	0	16.00 (सोलह लाख)	20.172 (बीस लाख सतरह हजार दो सौ)	36.172 (छत्तीस लाख सतरह हजार दो सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
3	मधुबनी	5	0	0	16.00 (सोलह लाख)	20.00 (बीस लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
4	मधेपुरा	4	0	0	36.043 (छत्तीस लाख चार हजार तीन सौ)	16.00 (सोलह लाख)	52.043 (बावन लाख चार हजार तीन सौ)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
5	सिवान	1	0	0	16.00 (सोलह लाख)	4.00 (चार लाख)	20.00 (बीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
6	अरवल	1	0	0	4.30 (चार लाख तीस हजार)	4.00 (चार लाख)	8.30 (आठ लाख तीस हजार)	पानी में डूबने से
7	मुजफ्फरपुर	2	0	0	0.00 (शून्य)	8.00 (आठ लाख)	8.00 (आठ लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
8	सुपौल	1	0	0	4.00 (चार लाख)	4.00 (चार लाख)	8.00 (आठ लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
9	दरभंगा	8	0	0	0.00 (शून्य)	32.00 (बत्तीस लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात
10	वैशाली	1	0	0	20.46 (बीस लाख छियालीस हजार)	4.00 (चार लाख)	24.46 (चौबीस लाख छियालीस हजार)	पानी में डूबने से
11	जहानाबाद	4	0	0	96.00 (छियानवे लाख)	16.00 (सोलह लाख)	112.00 (एक करोड़ बारह लाख)	पानी में डूबने से
12	पूर्णियाँ	2	0	0	280.086 (दो करोड अस्सी लाख आठ हजार छः सौ)	8.00 (आठ लाख)	288.086 (दो करोड़ अठासी लाख आठ हजार छः सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
13	बाँका	2	0	0	12.00 (बारह लाख)	8.00 (आठ लाख)	20.00 (बीस लाख)	वज्रपात
14	मुंगेर	2	0	0	4.00 (चार लाख)	8.00 (आठ लाख)	12.00 (बारह लाख)	पानी मे डूबने से
15	नालंदा	6	2	0	24.00 (चौबीस लाख)	24.17 (चौबीस लाख सतरह हजार)	48.17 (अड़तालीस लाख सतरह हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी मे डूबने से
16	रोहतास	6	0	0	4.00 (चार लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	28.00 (अठाईस लाख)	पानी मे डूबने से

17	भोजपुर	32	0	0	12.00 (बारह लाख)	128.00 (एक करोड अठाईस लाख)	140.00 (एक करोड़ चालीस लाख)	पानी मे डूबने से
कुल योग		295	40	3	608.889 (छ: करोड़ आठ लाख अठासी हजार नौ सौ)	336.342 (तीन करोड़ छत्तीस लाख चौतीस हजार दो सौ)	945.231 (नौ करोड़ पैंतालीस लाख तेईस हजार एक सौ)	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 47 दिनांक 24.03.17/ गया के पत्रांक 1284 दिनांक 15.05.17/मधुबनी के पत्रांक 229 दिनांक 09.05.17 एवं 234 दिनांक 13.05.17/मधेपुरा के पत्रांक 241 दिनांक 09.05.17 एवं 243 दिनांक 09.05.17/सिवान के पत्रांक 290 दिनांक 13.05.17/अरवल के पत्रांक 118 दिनांक 02.05.17/मुजफ्फरपुर के पत्रांक 328 दिनांक 09.05.17/सुपौल के पत्रांक 336–2 दिनांक 13.05.17/दरभंगा के पत्रांक 194 दिनांक 11.05.17 एवं 195 दिनांक 11.05.17 /वैशाली के पत्रांक 232 दिनांक 30.03.17/जहानाबाद के पत्रांक 691 दिनांक 15.05.17/पूर्णियाँ के पत्रांक 273 दिनांक 06.05.17 /बाँका के पत्रांक 129 दिनांक 18.05.17/मुंगेर के पत्रांक 193 दिनांक 09.05.17 एवं 89 दिनांक 01.05.17/नालंदा के पत्रांक 411 दिनांक 22.05.17 एवं 412 दिनांक 22.05.17/रोहतास के पत्रांक 257 दिनांक 03.10.16 एवं 122 दिनांक 22.04.17/भोजपुर के पत्रांक 258 दिनांक 19.05.17 एवं 259 दिनांक 19.05.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों /घायल व्यक्तियों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एव अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णत: व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

मुख्यशीर्ष- 2245-02-101-0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान पत्रांक 20 दिनांक 25/5/17

ज्ञापांक-../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक -../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक-..........20............................/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 25/5/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/5/17

अपर सचिव